**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15701/2025

Mukesh Alias Manoj S/o Mohanlal, Aged About 25 Years, Resident Of Nehru Nagar, Kuber Nagar, Ahmedabad Gujarat Currently Behind Shriram Factory, Jalore, Police Station Kotwali Jalore Raj. Presently Judicial Custody Sub-Jail, Jalore.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Shaitan Singh Kheechar |
| For Respondent(s) | : | Mr. Narendra Gehlot, PP |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR**

**Order**

**23/02/2026**

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **जालोर, जिला जालोर** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 361/2023,** अपराध अन्तर्गत धारा **147, 148, 449, 460, 323, 302/149 भारतीय दंड संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के साथ सहअभियुक्त मोहनलाल, मनोज, विजय, भाणीया उर्फ भोलाराम, नरेश व पाबुदेवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 449, 460, 323/149, 302/149 के दंडनीय अपराध का आरोप है। आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार सभी अभियुक्तगण मृतक कालाराम के साथ मारपीट करने व हत्या कारित करने का आरोप है, किंतु प्रार्थी/अभियुक्त पर कोई विशिष्ट कृत्य न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित किया गया है न ही चश्मदीद गवाह ने अपने बयानों में अंकित किया है, उनका तर्क है कि विचारण के दौरान मुख्य चश्मदीद गवाह मोनी देवी, कमला देवी

और शंकरलाल के बयान कराए जा चुके हैं। कमला देवी व मोनी देवी ने मृतक के सिर में कुल्हाड़ी से चोट मारकर हत्या करने का आरोप केसाराम के खिलाफ लगाया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त मुकेश उर्फ मनोज के हाथ में पाइप होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त शंकरलाल ने भी न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराए गए बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम मृतक के ऊपर कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाने वालों में नहीं लिया है। प्राथी/अभियुक्त दिनांक 24.12.2023 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, उनका यह भी तर्क है कि मामले के सहअभियुक्तगण मोहनलाल व पाबु देवी के जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.11.2025 व दिनांक 09.10.2025 को समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला जमानत पर छोड़े गये अभियुक्तों से भिन्न नहीं है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा यह व्यक्त किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में पांच अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना पाया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए तथा पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य साथी सहअभियुक्तगण के साथ कालाराम की हत्या कारित करने का आरोप है। मामले में चश्मदीद गवाह के जो बयान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं उनमें प्रार्थी/अभियुक्त का नाम मृतक के सिर में कुल्हाड़ी से वार करने वालों में नहीं लिया है। मृतक के सिर में कुल्हाडी से वार करने वालों में केसाराम का नाम लिया है। प्रार्थी/अभियुक्त 24.12.2023 से अभिरक्षा में है। विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में पांच अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना पाया गया है व चोरी के अपराध से संबंधित है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई

टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मुकेश उर्फ मनोज पुत्र मोहनलाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 361/2023, पुलिस थाना जालोर, जिला जालोर** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/–रुपए (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे रुपये पचास–पचास हजार मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

**(ASHUTOSH KUMAR),J**

41-Nitin Jagtiani/-